

SITANGANA

Regd. Office :

Jaganawa
Akri Dayal
ast Champaran

Admn. Office :
Boring Canal Road
Rai Ji Lane
Patna - 800 001

B.D.N 355/12-18

कम्प्यूटरीय भागत
पंजीवन संख्या
32866

Ram Jhulan Upadhyay
Chairman

30/01/18
Ref. : 24

Date : 27.1.18

सेवा में
लाक्यूचना एवं डिजिरी
पत्र निर्माण विभाग
बिहार-पटना

विषय: सूचना का अतिरिक्त अतिरिक्त 2005 की दिनांक 60 के
तहत सूचना उपलब्ध करने के संबंध में।

प्रयोजन: शापक 5676 (5) दि 24.06.15

मंत्रालय सूचित करना है कि प्रशासनिक पत्र के जरीम पत्र निर्माण
विभाग की संज्ञिका की कण्डिका 159 (6) एवं 159 (ख) में संशोधन
करते हुए आकस्मिक, आपातकालीन, अतिआवश्यक कार्य विशेषी
प्राकलित रात्री 15 लाख या 15 लाख से कम है का विज्ञापन
दैनिक समाचार पत्र या इन्टरनेट पर निविदा आभरण से
सूचना या प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा।

किंतु सामान्य कार्य (जो आकस्मिक, आपातकालीन
या अतिआवश्यक नहीं है) हेतु भी 15 लाख या उससे कम
की प्राकलित रात्री का कार्य के विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र
में नहीं प्रकाशित कराये जा रहे हैं, तथा स्थानीय प्रचार
प्रसार के जरीम रात्री कार्य विभागों के अंतर्गत
अभियंतकों द्वारा निविदा सम्पादित करे जा रहे हैं।
प्रति शब्दो समाप्त कर सरकार को चयन पहुँचाया जा रहा है।

कृपया सूचना दी जाये कि सामान्य कार्य पर
प्रशासनिक संशोधन प्रभावी है या नहीं, यानी जो कार्य
आकस्मिक, आपातकालीन, अतिआवश्यक नहीं है उसपर वह
संशोधन लागू है या नहीं।
जनहित में कृपया।

पौखल आर्डर नं 758530 संलग्न।

निष्ठासंगीत
25.01.18
(राम जूलन आच्यार्य)
पंचवीस आष वैद
आक्यूचरी पत्रा-01

140/सं.मा.0 (313)
1-2-18

संभागे

01.2.18

179
01/02/18

11/2

2

मि. 21/2/18
कृपया ध्यान
निर्मात्र करें।
Name
05-02-18

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)
बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पटना, दिनांक- 5/2/18

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-355/17-18 808 (E)

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री राम झूलन उपाध्याय,
पश्चिम बोरिंग कैनल रोड,
आनन्दपुरी, पटना-800001

महाशय,

यह आपके सूचना-आवेदन दिनांक-25.01.2018, जो इस विभाग में दिनांक-30.01.2018 को प्राप्त हुआ है, (आई0डी0सं0-355/17-18) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. आपके द्वारा याचित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(च) के तहत परिभाषित सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। फलतः वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

अनु०-यथोक्त।

पथ निर्माण विभाग,
कम्प्यूटराइज्ड निर्मात्र
पंजीयन सं०
दिनांक- 05/02/18

विश्वसभाजन,
02/2/18
(शैलेन्द्र कुमार)

Name

MF